

गैरसाधन के खिलाफ प्रस्तुत इस्तग्राह्य
 में उल्लिखित मुकदमा अधिकार साल 2011
 के पूर्व के है। प्रकरण इस्तग्राह्य के
 चलते हुए करीब 9 वर्ष की अवधि
 समाप्त हो चुकी है। इस अवधि के
 गैरसाधन के खिलाफ कोई प्रकरण
 मुकदमा चलाया गया है। उर्जि हुकम के
 ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।
 कानून गवाहन के भी ऐसा कोई साक्ष्य
 इस्तग्राह्यी पेश नहीं किया है, जिससे
 गैरसाधन इस 9 साल की अवधि
 में उपस्थित के लिखत होना साबित
 होना हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण कार्यवाही
 बंद कर दिया। इसी स्थिति पर खारिज
 की गयी है। पत्रावली के मूल मुकदमा
 के कर बाद पूर्ण दाखिल दफ्तर है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
 भरतपुर (राज.)

988
 10/12/11
 निर्णय पत्र
 5 पत्रावली
 केपी।